न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–69/2008

CIS No.-TS 183/2018

लतीफ मियां...वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.09.2024 संबंधित आदेश 13 नियम 01 वो 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 74 वो 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद अंतिम बहस में निर्धारित है एवं वादी बहस के दौरान अभिलेख का अवलोकन किया तो उसे ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा भूलवश मौजा केसरिया का हॉल सर्वे खतियान खाता सं0–272 वो 287 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल नहीं हो पाया है, जिसका पक्का नकल दाखिल किया जा रहा है। अतः विलंब माफ करते हुए प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–69/2008

CIS No.-TS 183/2018

लतीफ मियां...वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **04.04.2025**	अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 23.09.2024 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 06.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	